

दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड: नई दिल्ली

कार्मिक प्रभाग

(औ.सं. समुह)

01 अक्टूबर, 2020


परिपत्र सं: औ.सं./29/ 2020

विषय: बोर्ड स्तर/बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों और कर्मचारियों को जुलाई 2020 से सितंबर 2020 की तिमाही के लिए आईडीए का भुगतान।

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(एआईसीपीआई) के आधार पर उक्त तिमाही के लिए अनुमानित संशोधित मंहगाई भत्ते की दर की गणना 01.07.2020 से 159.9% की गई थी और उसे परिपत्र संख्या: औ.सं./23/2020 दिनांक 29.07.2020 द्वारा डीपीई के कार्यालय जापन के अनुसार बदले जाने कर शर्त के आधार पर जारी किया गया था। हालांकि, डीपीई द्वारा अपने कार्यालय जापन दिनांक 17.08.2020 द्वारा सूचित किया है कि दिनांक 01.07.2020 से मंहगाई भत्ते की दर उन आईडीए कर्मचारियों पर 159.9% की दर से लागू होगी जिन्हें डीपीई के कार्यालय जापन दिनांक 26.11.2008, 09.02.2009 और 02.04.2009 के अनुसार संशोधित वेतनमानों (2007) में अनुमति दी गयी थी

2. चूँकि, अनुमानित संशोधित मंहगाई भत्ते की दर अर्थात 159.9% में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अतः वही दर जुलाई, 2020 से सितंबर, 2020, तिमाही के लिए लागू होगी।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।


(एस.के. मीणा)

संयुक्त महाप्रबंधक (कार्मिक)

ई-मेल द्वारा:

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्यकारी सचिव
- निदेशकगण/मुख्य सर्तकता अधिकारी के कार्यकारी सचिव
- सभी मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक
- मुख्यालय के सभी प्रभागाध्यक्ष
- सभी शाखा प्रबंधक

प्रतिलिपि:

- संयुक्त महाप्रबंधक(वित्त)(लेखा एवं स्थापना), मुख्यालय।
- सूचना पट्ट

STC/CO/PER/IR/02035(3)/2014

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD: NEW DELHI

PERSONNEL DIVISION

(I.R. GROUP)

1st October, 2020

CIRCULAR NO: IR/29/2020

SUB: PAYMENT OF IDA TO THE BOARD LEVEL/BELOW BOARD LEVEL EXECUTIVES AND STAFF CADRES FOR THE QUARTER JULY, 2020 TO SEPTEMBER, 2020.

Estimated revised DA rate were calculated for the said quarter based on the All India Consumer Price Index (AICPI) w.e.f 01.07.2020 i.e 159.9% and issued vide circular No: IR/23/2020 dated 29.07.2020 subject to change based on issuance of OM by DPE. However, DPE vide OM dated 17.08.2020 has conveyed that DA rate w.e.f. 01.07.2020 i.e. 159.9% would be applicable in the case of IDA employees who have been allowed revised pay scales (2007) as per DPE O.Ms dated 26.11.2008, 09.02.2009 & 02.04.2009.

2. Since there is no change in the estimated revised DA rate i.e 159.9%, the same rate will applicable for the quarter July, 2020 to September, 2020.

This issues with the approval of Competent Authority.


(S.K.Meena)

Joint General Manager (Pers.)

By E-mail:

- Exe. Secy. to CMD
- Exe. Secys. to Directors/CVO
- All CGMs/GMs
- Divisional Heads, CO
- All Branch Managers

Copy to

- JGM(F)(A&E), CO
- Notice Board